उपायुक्त का कार्यालय (समाज कल्याण शाखा) सिमडेगा।

सूचना

जिला समाज कल्याण कार्यालय, सिमडेगा अन्तर्गत " बाल, दोषी, अनाथ तथा निराश्रित बच्चों के लिए विशेष योजना " के कार्यान्वयन हेतू निबंधित गैर सरकारी संस्थाओं से परियोजना प्रस्ताव दिनांक 14.02.2015 को 02 बजे अपराह्न तक आमंत्रित किया जाता है। विस्तृत जानकारी सिमडेगा जिले के बेवसाइट Simdega.nic.in पर देखा जा सकता है।

ह0/–

उपायुक्त,
सिमडेगा।

प्रस्तावक की शर्तें।

1. उन स्वंय सेवी संस्थाओं के प्रस्तावों पर विचार किया जायेगा, जो सोसाईटी रजिस्टशन एक्ट – 1860, ट्रस्ट अधिनियम – 1882, कम्पनीज अधिनियम 1958 के तहत निवंधित हो एंव सरकारी उपक्रम/ निगम/ निकाय/ कॉपरेटिव/ समिति के अधीन लोकहित में कार्य कर रहे हो तथा जिसका निबंधन की तीन साल पूरा हो गया हो।
2. उन्हीं संस्थाओं के परियोजना प्रस्तावों पर विचार किया जायेगा, जिनका विधिवत रूप से गठित प्रबंध समिति हों एंव जिसका अधिकार और कर्त्तव्य स्पष्ट रूप से परिभाषित हो, तथा जिनके लिखित संविधान / वाईलाज हो। परियोजना प्रस्ताव के साथ उक्त संविधान / वाईलाज को संलग्न करना आवश्यक होगा।
3. संस्थाओं के परियोजना प्रस्ताव पर विचार के लिए आवश्यक होगा कि संस्था परियोजना प्रस्ताव से संबंधित विषय पर या परियोजना के विषय के समान क्षेत्र में कार्य करने का अनुभव कम से कम 03 वर्षों का हो तथा संस्था के पास परियोजना कार्यान्वयन के लिए पर्याप्त सुविधाएँ तथा संसाधन उपलब्ध हो।
4. परियोजना प्रस्ताव का बजट परियोजना के आवश्यकता आधारित होनी चाहिए, अनावश्यक रूप से अत्यधिक बजट वाले परियोजना प्रस्ताव पर विचार नही किया जायेगा।

5. इस परियोजना संचालन के लिए संस्था की अपनी वित्तीय स्थिति का सुदृढ होना आवश्यक है। संस्था के पास संबंधित परियोजना हेतु प्रस्तावित बजट का कम से कम 20% राशि अपने बैंक खाते में रखना अनिवार्य होगा।

6. संस्था का विगत 03 वर्षों का अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्षवार सक्षम प्राधिकार द्वारा अभिप्रमाणित कर संलग्न करना आवश्यक होगा।

7. वैसी स्वयंसेवी संस्थाओं के परियोजना प्रस्तावों पर विचार नही किया जायेगा, जिनके द्वारा पूर्व में अनुदान की राशि का दुरूपयोग किया गया हो या जिनका नाम काली सूची में दर्ज हो।

8. संस्था का चयन सरकार के पत्रांक 2479, दिनांक 27.12.2013 में दिये गये निदेश के आलोक में किया जायेगा।

9. संस्था के साथ किसी भी विवाद का निराकरण सिमडेगा जिला व्यवहार न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत किया जायेगा।

ह0/–
उपायुक्त,
सिमडेगा।

ज्ञापांक 119(ii)/स0क0, दिनांक 30.1.15।

प्रतिलिपि :– जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी, सिमडेगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिला आसूचना पदाधिकारी, सिमडेगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

30/01/2015
उपायुक्त,
सिमडेगा।